बलिकसि बानो मामला और परहिार

प्रलिम्सि के लयि:

बलिकसि बानो मामला और परहिार, दंड का परहिार, 2002 दंगे, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अनुच्छेद 72

मेन्स के लयि:

बलिकसि बानो मामला और परहिार, वभिन्नि क्षेत्रों में वकिास के लयि सरकारी नीतयिाँ एवं हस्तक्षेप तथा उनकी रूपरेखा और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात **राज्य में** वर्ष **2002 के दंगों** के दौरान **बलिकसि बानो** के साथ सामूहकि बलात्कार तथा उसके परविार के सात सदस्यों की हत्या में शामलि 11 दोषयिों को दंड **परहिार** देने के **गुजरात सरकार के नरि्णय** को रद्द कर दयिा है।

बलिकसि बानो मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

- वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उक्त गर्भवती महलिा बलिकसि बानो के साथ **क्रूर सामूहकि बलात्कार** कयिा गया था तथा उसकी तीन वर्ष की बेटी सहति परविार के सात सदस्यों को दंगाइयों ने मार डाला था।
- व्यापक वधिकि कार्यवाही के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो **(Central Bureau of Investigation- CBI)** ने मामले की जाँच की।
- वर्ष 2004 में बलिकसि को **जान से मारने की धमकयिाँ मलिने के बाद SC ने मुकदमे को गुजरात से मुंबई न्यायालय स्थानांतरति कर दयिा** तथा केंद्र सरकार को एक वशिेष लोक अभयिोजक (Public Prosecutor) नयिुक्त करने का नरि्देश दयिा।
- वर्ष 2008 में मुंबई की एक न्यायालय ने 11 व्यक्तयिों को सामूहकि बलात्कार तथा हत्या में शामलि होने के लयि दोषी सदि्ध कयिा जो बलिकसि बानो को न्याय दलिाने की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- हालाँकि अगस्त 2022 में **गुजरात सरकार ने इन 11 दोषयिों को परहिार/माफी दे दी** जसिसे उनकी रहिाई हो गई। इस नरि्णय ने संबद्ध छूट देने के लयि उत्तरदायी प्राधकिरण तथा क्षेत्राधकिार के संबंध में चतिाओं के कारण ववािद एवं वधिकि चुनौतयिों को उजागर कयिा।

गुजरात सरकार की दंड परहिार अनुदान को रद्द करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का नरि्णय क्या है?

- **अधकिार की कमी और छुपाए गए तथ्य:**
  - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दयिा कि **गुजरात सरकार के पास** दंड परहिार के आदेश जारी करने का **अधकिार या क्षेत्राधकिार नहीं** है।
  - **CrPC की धारा 432** के तहत, राज्य सरकारों के पास कसिी दंड को नलिंबति करने या क्षमा करने की शक्ति है। लेकनि न्यायालय ने कहा कि कानून की धारा 7(B) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **उपयुक्त सरकार वह है जसिके अधकिार क्षेत्र में अपराधी को सज़ा सुनाई जाती** है।
  - इसने बताया कि **दंड परहिार देने का नरि्णय उस राज्य के अधकिार क्षेत्र में होना चाहयि** जहाँ दोषयिों को सज़ा सुनाई गई थी, न कि जहाँ अपराध हुआ था या जहाँ उन्हें कैद कयिा गया था।
- **दंड परहिार प्रक्रयिा की आलोचना:**
  - न्यायालय ने यह उल्लेख करते हुए **दंड परहिार प्रक्रयिा में गंभीर खामयिों को उजागर कयिा** है कि आदेशों पर उचति वचिार नहीं कयिा गया और तथ्यों को छपिाकर प्राप्त कयिा गया, जो न्यायालय के साथ धोखाधड़ी है।
- **सत्ता का अतरिक और गैरकानूनी प्रयोग:**
  - न्यायालय ने **गुजरात सरकार की अतरिक की आलोचना** करते हुए कहा कि उसने दंड परहिार के आदेश जारी करने में उस शक्ति का गैरकानूनी तरीके से प्रयोग कयिा जो महाराष्ट्र सरकार के पास थी।
- **स्वतंत्रता याचकिा के नरि्देश और अस्वीकृति:**

- अपनी **स्वतंत्रता की रक्षा के लिये** दोषियों की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

परिहार क्या है?

- **परिचय:**
  - परिहार (Remission) एक बिंदु पर **किसी दंड या सज़ा की पूर्ण रूप से समाप्ति** है। दंड परिहार फर्लो (Furlough) और पैरोल (Parole) दोनों से अलग है क्योंकि इसमें कारावास-जीवन से विराम के विपरीत दंड में कमी कर दी जाती है।
  - दंड परिहार में **सज़ा की प्रकृति बदलती नहीं** है, जबकि अवधि कम हो जाती है अर्थात् शेष सज़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं होती है।
  - दंड परिहार का प्रभाव यह होता है कि कैदी को एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस दिन उसे रिहा किया जाएगा और कानून की नज़र में वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा।
  - हालाँकि दंड परिहार की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में इसे रद्द कर दिया जाएगा और अपराधी को वह पूरी अवधि वापस कारावास में व्यतीत करनी होगी जिसके लिये उसे मूल रूप से सज़ा सुनाई गई थी।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संविधान द्वारा **क्षमा की संप्रभु शक्ति प्रदान** की गई है।
  - **अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति** किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन कर सकता है या निलंबित या कम कर सकता है।
    - यह सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति हेतु किया जा सकता है:
      - सज़ा उन सभी मामलों में कोर्ट-मार्शल द्वारा होगी जहाँ सज़ा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित किसी भी कानून के तहत अपराध को संदर्भित करती है और सभी मामलों में मौत की सज़ा होगी।
  - **अनुच्छेद 161** के तहत राज्यपाल सज़ा को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार दे सकता है या सज़ा को निलंबित, हटा या कम कर सकता है।
    - यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतरगत आने वाले मामले में किसी भी कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के लिये किया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है।
- **परिहार की सांविधिक शक्ति:**
  - दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) जेल की सज़ा में दंड परिहार का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि पूरी सज़ा या उसका एक हिस्सा रद्द किया जा सकता है।
  - धारा 432 के तहत **'उपयुक्त सरकार'** किसी सज़ा को पूरी तरह या आंशिक रूप से शर्तों के साथ या उसके बिना निलंबित या माफ कर सकती है।
  - धारा 433 के तहत किसी भी सज़ा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम किया जा सकता है।
  - यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदियों को रिहा करने का आदेश दे सकें।
- **परिहार के ऐतिहासिक मामले:**
  - **लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2000):**
    - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन कारकों को निर्धारित किया जो परिहार के अनुदान को नियंत्रित करते हैं:
      - क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किये बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है?
      - क्या भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है?
      - क्या अपराधी अपराध करने की अपनी क्षमता खो चुका है?
      - क्या इस दोषी को अब और कैद में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है?
      - दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
  - **इपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006):**
    - SC ने माना कि दंड परिहार के आदेश की न्यायिक समीक्षा निम्नलिखित आधारों पर उपलब्ध है:
      - दिमाग का उपयोग न करना;
      - आदेश दुर्भावनापूर्ण है;
      - आदेश अप्रासंगिक या पूर्णतः अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;
      - प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया;
      - आदेश मनमानी से ग्रस्त है।

नोट:

- **क्षमादान:** यह सज़ा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देता है तथा दोषी को सभी सज़ाओं, दंडों एवं अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है।
- **संपरिवर्तन:** यह सज़ा के एक रूप को कम सज़ा के साथ प्रतिस्थापित करने को दर्शाता है। उदाहरण के लिये, मौत की सज़ा को कठोर कारावास में बदला जा सकता है।
- **राहत:** यह किसी विशेष तथ्य, जैसे किसी दोषी की शारीरिक विकलांगता या किसी महिला अपराधी की गर्भावस्था, के कारण मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देने को दर्शाता है।
- **दंडविराम:** इसका तात्पर्य अस्थायी अवधि के लिये किसी सज़ा (विशेष रूप से मौत की सज़ा) के निष्पादन पर रोक लगाना है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से माफी या सज़ा में छूट मांगने के लिये समय देना है।

और पढ़ें:

https://www.drishtijudiciary.com/hin/editorial/Remission-in-Bilkis-Bano-Judgment

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bilkis-bano-case-and-remission